-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली देहात व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय भैंस चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक अभियुक्त के पैर में लगी गोली।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 03 नग भैंस/पडिया/पडा तथा चोरी की भैंसो को बेचने से प्राप्त 95 हजार रूपये नगद, 01 पिकअप लोडर (घटना मे प्रयुक्त), व 02 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस व 4 खोखा कारतूस बरामद।**
- **अभियुक्त आस-पास के जनपदों में पिकअप लोड़र से रात्रि में भैंस चोरी की घटना को देते थे अंजाम। घायल अभियुक्त फिरोज उर्फ अनीश पर गैंगस्टर समेत एक दर्जन मामले हैं दर्ज।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री मेविस टॉक तथा सहायक पुलिस अधीक्षक श्री श्लोक गौतम के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 02.04.2026 की रात्रि को थाना कोतवाली देहात व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली देहात व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थी। तभी जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ शातिर भैंस चोर जिनके द्वारा हाल ही में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र में भैंस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। जो आज भैंसो को बेचने के लिये चहितारा गांव की तरफ से ले जा रहे है। इस सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर रोड पर चेकिंग लगाकर घेराबंदी की गई, दौराने चेकिंग अभियुक्त चहितारा गांव के पास बुन्देलखण्ड एक्सप्रसे के नीचे बनी सर्विस लेन की तरफ अपनी पिकअप लोडर लेकर भागे जिनका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो अभियुक्तों की गाडी अनियत्रिंत होकर पुल के किनारे दीवार से टकराकर बन्द हो गयी। जब अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करनी शुरू कर दी, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त फिरोज खान उर्फ अनीश पुत्र इस्लाम खान निवासी सिमौर रोड महबूबनगर थाना गाजीपुर जिला फतेहपुर के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया। अभियुक्त फिरोज खान को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उसकी स्थिति खतरे से बाहर है तथा अन्य 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। जाँच व पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों द्वारा पिकअप लोडर से पूर्व नियोजित योजना के तहत रात्रि में भैंस चोरी की घटना को अंजाम देते थे। दिनांक 20/21.02.2026 को थाना बिसण्डा, दिनांक 10/11.03.2026 को थाना कोतवाली नगर तथा दिनांक 24/25.03.2026 को थाना कोतवाली देहात में रात्रि को भैंस चोरी की घटना को अंजाम दिया था जिसके संबंध में सम्बन्धित थानो पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों द्वारा कुल 10 भैंस/पडिया/पडा को पिकअप लोडर से चोरी किया गया था जिनमे से 03 मौके पर बरामद हुयी शेष 07 अभियुक्तों द्वारा पूर्व में ले जाकर उन्नाव के स्लॉटर हाउस में कटवा दी है। अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस, 04 खोखा कारतूस चोरी की 03 नग भैंस/पडिया/पडा तथा चोरी की भैंसो को बेचने से प्राप्त 95 हजार रूपये नगद तथा 01 पिकअप लोडर (घटना मे प्रयुक्त) बरामद किया गया।

बरामदगी-

- 02 अवैध तमंचा
- 02 जिन्दा कारतूस
- 04 खोखा कारतूस

- 03 भैंस/पडिया/पडा (चोरी की)
- 01 पिकअप लोडर (घटना में प्रयुक्त)
- 95 हजार रुपये नगद

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. फिरोज खान उर्फ अनीश पुत्र इस्लाम खान निवासी महबूबनगर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर (मुठभेड़ में घायल)।
2. चंदन पुत्र रामदीन निवासी खैदीपुर मजरा सेमरी थाना असोथर जनपद फतेहपुर ।
3. पंकज सिंह पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम बंशूपुरवा थाना खागा जनपद फतेहपुर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 92/26 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री चन्द्रप्रकाश तिवारी थानाध्यक्ष कोतवाली देहात मय टीम
2. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार प्रभारी एसओजी
3. उ0नि0 श्री राजेश मौर्या प्रभारी सर्विलांश
4. उ0नि0 दुर्विजय सिंह थाना कोतवाली देहात
5. हे0का0 अश्वनी सिंह एसओजी
6. हे0का0 आशीष शर्मा सर्विलांश
7. का0 अमित त्रिपाठी एसओजी
8. का0 ऋषभ कुमार एसओजी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त फिरोज खान उर्फ अनीश -

1. मु0अ0सं0 862/21 धारा 328/379/411 भादवि थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर।
2. मु0अ0सं0 883/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर।
3. मु0अ0सं0 27/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।
4. मु0अ0सं0 44/22 धारा 457/380 भादवि थाना राधानगर जनपद फतेहपुर।
5. मु0अ0सं0 50/22 धारा 379 भादवि0 थाना राधानगर जनपद फतेहपुर।
6. मु0अ0सं0 280/23 धारा 2/3 गैग0 एक्ट थाना राधानगर जनपद फतेहपुर।
7. मु0अ0सं0 201/24 धारा 305/331(1) बीएनएस थाना बृजपुर जनपद पन्ना (म0प्र0)।
8. मु0अ0सं0 202/24 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना बृजपुर जनपद पन्ना (म0प्र0)।
9. मु0अ0सं0 74/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
10. मु0अ0सं0 159/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
11. मु0अ0सं0 173/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
12. मु0अ0सं0 92/26 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा (मुठभेड़)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त चंदन -

1. मु0अ0सं0 159/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 173/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 74/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 92 /26 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा (मुठभेड़)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पंकज -

1. मु0अ0सं0 159/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 173/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 74/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 92/26 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा (मुठभेड़)।